भारतीय पैनोरामा 2023
विनियम

1. लघु शीर्षक

54वां अन्तर्राष्ट्रीय फ़िल्म समारोह 2023 कोविड-19 के चलते हाइब्रिडफोरमैट में आयोजित किया जाएगा । जहां फिल्मों की स्क्रीनिंग आधिकारिक तौर पर डिजिटल प्लैटफॉर्म के साथ-साथ थैरेटिकल स्क्रिनिंग, गोवा में फिल्म समारोह के दौरान आयोजित किए जाएगें, जो कि उस समय की मौजूदा स्थिति पर निर्भर होगी । इन विनियमों को भारतीय पैनोरामा-2023 विनियम कहा जाएगा और ये तत्काल प्रभाव से लागू होंगे ।

2. परिभाषाएँ :

इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "बोर्ड" से केन्द्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड अभिप्रेत है ।

(ख) "निगम" से सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम अभिप्रेत है ।

(ग) "भारतीय पैनोरामा" भारत के अन्तर्राष्ट्रीय फ़िल्म समारोह का एक वर्ग है ।"भारतीय पैनोरामा" का अर्थ है फ़िल्मों का वह समूह जिसे राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय फ़िल्म समारोह में शामिल करने हेतु इन विनियमों में उपबंधों के अनुरूप चुना गया हो ।

(d) "निर्माता" से अभिप्राय जिसने फ़िल्म का निर्माण किया हो, जो फ़िल्म का सर्वाधिकार / कॉपीराइट धारक हो तथा निर्णायक मंडल अथवा चयनित फ़िल्मों को अन्य फ़िल्म समारोहों में प्रदर्शन के लिए प्रयोगशाला से फ़िल्मों की डिजिटल/सिनेमैटिक प्रतियों की प्राधिकृत आपूर्ति/ आपूर्ति में करा सके । जिसमें वैयक्तिक निर्माता, निर्माण कम्पनी, संस्थान या ऐसी ही कोई अन्य इकाई शामिल हो सकते हैं । इनमें सह-निर्माता भी सम्मिलित हो सकते हैं ।

3. उद्देश्य और लक्ष्य :

राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम द्वारा आयोजित भारतीय पैनोरामा विनियमों का उद्देश्य सिनेमैटिक, विषयात्मक और सौन्दर्यात्मक उत्कृष्टता की फ़ीचर और गैर-

फ़ीचर फ़िल्मों का निम्नलिखित गैर लाभकारी प्रदर्शन के माध्यम से फ़िल्म कला को बढावा देने के लिए चयन करना है :-

(1) भारत और विदेश में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय फ़िल्म
(2) द्विपक्षीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत आयोजित भारतीय फ़िल्म सप्ताह और सांस्कृतिक आदान-प्रदान प्रोटोकॉल से बाहर के विभिन्न भारतीय फ़िल्म समारोह ।
(3) भारत में विशेष भारतीय पैनोरामा समारोह ।

4. वर्ग

भारतीय पैनोरामा में निम्नलिखित वर्ग होंगे :-

(1) फ़ीचर फ़िल्में और
(2) गैर - फ़ीचर फ़िल्में

5. भारतीय पैनोरामा

निम्नांकित शर्तों और प्रक्रिया के अनुसार चयनित चलचित्रगत, विषयक तथा सौन्दर्यगत श्रेष्ठता वाली अधिकतम 26 फीचर फ़िल्मों तथा 21 गैर फीचर फ़िल्मों (70वाँ राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार, 2022 की सर्वोत्तम फ़ीचर और सर्वोत्तम गैर फ़ीचर फ़िल्मों सहित) को भारतीय पैनोरामा के अन्तर्गत दिखाया जाएगा ।

6. पात्रता शर्तें

प्रत्येक प्रविष्टि निम्नांकित शर्तों पर खरी उतरनी चाहिए :

6.1 फ़िल्म किसी भारतीय भाषा में हो । किसी भी भारतीय भाषा से भारतीय संघ के राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों की सभी आधिकारिक भाषाएँ, भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट सभी भारतीय भाषाएँ तथा समय समय पर भारत सरकार एवं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य भाषाएँ एवं बोलियाँ अभिप्रेत हैं ।

6.1.1 मूक फ़िल्में भी पात्र होंगी ।
6.1.2 निर्देशक भारतीय नागरिक होना चाहिए ।

6.1.3 फ़िल्म का निर्माता भारतीय नागरिक होना चाहिए और फ़िल्म भारत में निर्मित होनी चाहिए । तथापि विदेशी निर्माता के साथ सह-निर्माण भी स्वीकार्य है ।

6.2 फ़िल्म भारत में निर्मित हो । यदि किसी विदेशी निर्माता के साथ मिलकर निर्माण किया गया हो, तो निम्नलिखित शर्तें पूरी की जानी चाहिए :-

6.2.1 सह निर्माताओं से कम से कम एक भारतीय हो ।
6.2.2 भारतीय निर्माता भारत में पंजीकृत हो या भारत का नागरिक हो ।
6.2.3 फ़िल्म का शीर्षक भारतीय फ़िल्म शीर्षक के रूप में पंजीकृत हो ।
6.2.4 निर्देशक एक भारतीय नागरिक हो और उससे जुडे कलाकार तथा तकनीशियन मूलत: भारतीय हो । किन्तु भारत में स्थित फ़िल्म संस्थानों के ऐसे विदेशी छात्रों द्वारा निर्देशित गैर-फ़ीचर फ़िल्में भी पात्र होंगी, यदि उनकी प्रविष्टियाँ संबंधित संस्थानों द्वारा भेजी जाए ।
6.2.5 भारत और विदेश में होने वाले फ़िल्म महोत्सवो में भारतीय प्रविष्टि के रूप में तथा राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम द्वारा आयोजित भारतीय सिनेमा की विशिष्ट प्रदर्शनी में फ़िल्म को शामिल करने हेतु संस्वीकृत करने का अधिकार आवेदक अर्थात निर्माता/अधिकार धारक के पास हो ।

6.3 फ़िल्म का निर्माण समारोह से 12 महीने पूर्ववर्ती अर्थात् 1 अगस्त 2022 से 31 जुलाई 2023 के दौरान पूर्ण हुआ होना चाहिए । आवेदक को फ़िल्म निर्माण समापन की तारीख का उल्लेख करते हुए एक घोषणापत्र, धारा 7.2 (सी) i,ii,iii में उल्लिखित प्रारूप में जमा करना होगा । 1 अगस्त 2022 से 31 जुलाई 2023 तक की अवधि के दौरान केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित फ़िल्में भी पात्र है ।

नोट : (1) यदि कोई फ़िल्म (फ़ीचर या गैर-फ़ीचर) किसी भी भारतीय/अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म समारोह में चयनित / प्रदर्शित की गई है, तो वह फ़िल्म भारतीय पैनोरामा वर्ग में केवल उसी वर्ष में प्रवेश की पात्र होगी ।

(2) यदि भारतीय पैनोरामा के लिए चयनित कोई फ़िल्म केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित नहीं है, तो राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम सिनेमैटोग्राफी अधिनियम, 1952 के तहत छूट प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्यवाई करेगा । तथापि जब फ़िल्म को केन्द्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया जाता है तब

निर्माता को फ़िल्म की प्रमाणित प्रति को वांछित प्रारूप में राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम को उपलब्ध कराना चाहिए ।

(3) यदि कोई फ़िल्म (सेन्सर्ड या अन सेन्सर्ड) जो पिछले साल के भारतीय पैनोरामा में शामिल थी, भारतीय पैनोरामा–2023 के लिए पात्र नही होगी ।

6.4 किसी भी भारतीय भाषा में डिजिटल / वीडियो प्रारूप में 70 मिनट से अधिक अवधि की फ़ीचर फ़िल्म या काल्पनिक कहानी के रूप में बनी फ़िल्म, फ़ीचर फ़िल्म वर्ग की पात्र है ।

6.5 किसी भी भारतीय भाषा में डिजिटल /वीडियो प्रारूप की डोक्युमेंट्री/न्यूज़ रील/नॉन फिक्शन /शॉर्ट फ़िक्शन फ़िल्म गैर- फ़ीचर फ़िल्म वर्ग की पात्र हैं ।

6.6 कोई फ़िल्म फ़ीचर है अथवा गैर फ़ीचर इसका निर्णय आवेदक द्वारा जमा किए गए प्रविष्टि पर एवं घोषणापत्र के आधार पर किया जाएगा ।

6.7 सभी फ़िल्मों में अंग्रेज़ी उप शीर्षक अनिवार्य है ।

6.8 मुख्यधारा सिनेमा वर्ग के चयन के लिए भारतीय फ़िल्म फ़ेडरेशन और फ़िल्म एवं टेलिविज़न प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया लि., इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (इम्पा), इंडियन फ़िल्म एवं टेलीविज़न डायरेक्टर्स एसोसिएशन, ईस्टर्न इंडियन मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन्स (ईआईएमपीए), साउथ इंडियन फ़िल्म चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स, अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडल और असम फ़िल्म फ्रेटरनिटी अपने स्वयं के निर्णायक मंडल द्वारा मूल्यांकित, लोकप्रियता एवं बॉक्स ऑफिस सफलता के आधार पर पाँच फ़िल्मों की सूची देंगे । जूरी भारतीय पैनोरामा के अंतर्गत प्रदर्शित करने के लिए भारतीय फ़िल्म फ़ेडरेशन और फ़िल्म एवं टेलिविज़न प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया लि., इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (इम्पा), इंडियन फ़िल्म एवं टेलीविज़न डायरेक्टर्स एसोसिएशन, ईस्टर्न इंडियन मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन्स (ईआईएमपीए), साउथ इंडियन फ़िल्म चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स, अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडल और असम फ़िल्म फ्रेटरनिटी द्वारा अनुशंसित पांच फिल्मों का चयन करेगी ।

फ़िल्में विनियमों के अनुसार निर्धारित प्रविष्टि पत्र एवं प्रारूप में फ़िल्में जमा कराने की अंतिम तिथि ऑनलाईन प्रविष्टि पत्र जमा करने की अंतिम तिथि **10 अगस्त, 2023 की शाम 6:00 बजे तक जमा करानी होंगी । ऑनलाईन प्रविष्टि पत्र की मुहरित और हस्ताक्षरित प्रत्यक्ष प्रतिलिपि अपेक्षित सामग्री के साथ की प्राप्ति की अंतिम तिथि 18 अगस्त,2023 को शाम 6:00 बजे** तक है ।

6.9 क) व्यक्तियों/निर्माताओं/निर्माता इकाइयों/ सरकारी संस्थानों/कम्पनियों को अधिकतम पाँच प्रविष्टियाँ भेजने की अनुमति है ।

ख) फ़िल्म एवं मीडिया संस्थानों को छात्रों की अधिकतम दस प्रविष्टियाँ भेजने की अनुमति है । फ़िल्म एवं मीडिया संस्थानों की प्रविष्टि इस आधार पर स्वीकार की जाएगी कि वह फ़िल्म गैर-फ़ीचर / डिप्लोमा के अंतिम वर्ष के छात्र की हो तथा विधिवत् रूप से यह भी प्रमाणित किया जाना चाहिए कि वह इस संस्थान के छात्र की स्वतंत्र रूप से बनाई फ़िल्म हो ।

6.10 **अपात्रता :**

(क) मूल रूप से टेलिविज़न के लिए निर्मित कार्यक्रम एवं टेलिकास्ट प्रारूप में वाणिज्यिक ब्रेक्स, विज्ञापनों, चैनल लोगो/आई डी इत्यादि से युक्त भेजी गई प्रविष्टियाँ ।

(ख) प्रविष्टियों पर प्रिव्यू कॉपी, विभागीय लोगो इत्यादि शीर्षक अंकित होना । यद्यपि, यदि स्क्रीनिंग कॉपी पर शीर्षक अंकित है तो वह बहुत धुंधला या अस्पष्ट न हो जिससे कि उन्हें देखने में परेशानी पैदा हो ।

(ग) डब की गई फ़िल्में/संशोधित रूपांतर/भारतीय फ़िल्म जो कि पहले भी भारतीय पैनोरामा वर्ग के लिए जमा कराई गई हैं का पुनर्निर्मित /पुनर्संपादित संस्करण पात्र नहीं होंगे । सभी फ़िल्में अपनी मूल रूपान्तर/भाषा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

(घ) फ़िल्म अंग्रेज़ी उप शीर्षक न होने पर (फ़िल्म निर्माता कृपया सुनिश्चित कर लें कि फ़िल्मों के उप शीर्षक स्पष्ट एवं सुपाठ्य हो । उप शीर्षकों को विजुअल /बैकग्राउन्ड के साथ नहीं जोडा जाए । इससे जूरी सदस्यों को फ़िल्म मूल्यांकन अच्छी प्रकार से कर पाने में सुविधा होगी । बोले गये सभी शब्दों के अनिवार्य रूप से अंग्रेज़ी उप शीर्षक हो) ।

(ङ) प्रविष्टियों को डी.सी.पी. (अनएन्क्रिप्टिड, डी.सी.आई. कम्पलाइन्ट- जे2के, इन्टरोप या एसएमपीटीई डीसीपी-नोट: जे2के इन्टरोप डीसीपी केवल 24 एफपीएस)/ब्लूरे (रीजन फ्री पीएएल) अथवा पेन ड्राइव की निम्नस्तरीय क्वालिटी में उपलब्ध कराना।

(च) आवेदक की प्रविष्टि स्वत: अयोग्य मानी जाएगी यदि आवेदक जूरी सदस्यों पर किसी प्रकार का प्रभाव/सिफारिश करता है और इस संबंध में सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा ।

(छ) यदि किसी भारतीय फ़िल्म जिसका प्रदर्शन किसी भी भारतीय या अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म समारोह में इफ्फी से एक वर्ष से अधिक पूर्ववर्त किया गया है, अयोग्य मानी जाएगी ।

(ज) यदि आवेदकों द्वारा जमा कराए गए घोषणापत्र पर तथ्यात्मक रूप से असत्य या गलत पाए जाते हैं, तो राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम प्रविष्टि को अस्वीकार करने या यहाँ तक कि अंतिम चयन घोषणाओं के बाद भी फ़िल्म के चयन को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है । ऐसे मामलों में, जहाँ असत्य या गलत घोषणापत्र पाए जाते हैं, आवेदक को राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम द्वारा आयोजित सभी गतिविधियों में तीन वर्षों की अवधि तक भाग लेने से वर्जित कर दिया जाएगा ।

7. फ़िल्म भेजने की प्रक्रिया

7.1 निर्माता निर्धारित प्रविष्टि प्रपत्र – फॉर्म आईपी – I, प्रपत्र – II सहित आवेदन करें । भारतीय पैनोरामा 2023 के ऑनलाईन प्रविष्टि प्रपत्र और विनियम निम्नलिखित वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं :
www.nfdcindia.com and www.iffigoa.org

7.2 प्रत्येक प्रविष्टि प्रपत्र के साथ निम्नलिखित सामग्री भेजी जाए और इसे indianpanorama@nfdcindia.com पर भी ई मेल करें ।

(क) फ़ीचर फ़िल्मों के स्वीकार्य स्वरूप हैं – डी.सी.पी (अनएन्क्रिप्टिड, डी.सी.आई. कम्पलाइन्ट-जे2के, इन्टरोप या एसएमपीटीई डीसीपी-नोट : जे2के इन्टरोप डीसीपी केवल 24 एफपीएस में)/ ब्लूरे (रीजन फ्री पीएएल) दो डीवीडी प्रतिलिपियों के साथ । गैर - फ़ीचर फ़िल्मों के स्वीकार्य स्वरूप हैं --डी.सी.पी (अनएन्क्रिप्टिड, डी.सी.आई. कम्पलाइन्ट-जे2के, इन्टरोप या एसएमपीटीई डीसीपी-नोट : जे2के इन्टरोप डीसीपी केवल 24 एफपीएस में)/

ब्लूरे (रीजन फ्री पीएएल) या पेन ड्राइव (फाइल MP4/MOV/H-264, Resolution 1920x1080 file) ।

(ख) फ़िल्म का कथासार (संक्षिप्त व अधिकतम 200 शब्दों में), निर्देशक और निर्माता का जीवन-वृत्त तथा निर्देशक का अंग्रेज़ी में नोट एवं कलाकारों का विवरण निम्नलिखित **indianpanorama@nfdcindia.com** पर भी ई-मेल करें :

साथ निम्नलिखित को अलग रूप से **indianpanorama@nfdcindia.com** में ई-मेल करें ।

1. फ़िल्म की 5 तस्वीरें (200-300 डीपीआई).
2. निर्देशक की 2 तस्वीरें (200-300 डीपीआई).
3. निर्माता की तस्वीरें अथवा लोगो (200-300 डीपीआई).
4. पोस्टर

(ग) (i) आवेदक को एक घोषणापत्र जमा करना होगा, जिसमें सत्यापित किया गया हो कि प्रविष्टि प्रपत्र एवं अन्य प्रपत्रों में दी गई सूचना/जानकारी उसकी समझ से सत्य है, फ़ीचर फ़िल्म की डीसीपी अनएन्क्रिप्टिड (डी.सी.आई. कम्पलाइन्ट-जे2के), इन्टरोप या एसएमपीटीई डीसीपी-नोट : जे2के इन्टरोप डीसीपी केवल 24 एफपीएस)/ ब्लूरे (रीजन फ्री पीएएल) और गैर - फ़ीचर फ़िल्म की डीसीपी-अनएन्क्रिप्टिड(डी.सी.आई. कम्पलाइन्ट-जे2के), इन्टरोप या एसएमपीटीई डीसीपी-नोट : जे2के इन्टरोप डीसीपी केवल 24 एफपीएस/ ब्लूरे (रीजन फ्री पीएएल) या पेन ड्राइव (फाइल MP4/MOV/H-264, Resolution 1920x1080 file) खंड 7.2 (क) के अनुसार अपेक्षित प्रारूप में जमा कराई गई है ।

(ii) यह भी प्रमाणित किया जाना चाहिए कि फ़िल्म किसी भी अन्य फ़िल्म का डब/संशोधित/पुनर्निर्मित/पुन: संपादित संस्करण नहीं है और इससे पहले कभी जमा नहीं कराया गया है ।

(iii) फ़िल्म का निर्माण समारोह से पूर्ववर्त 12 महीनों की अवधि अर्थात् **1 अगस्त, 2022 से 31 जुलाई 2023** के दौरान हुआ है तथा इस अवधि से पहले इसका किसी भी भारतीय या अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म समारोह में प्रदर्शन नहीं किया गया है ।

(iv) फ़िल्म एक फ़ीचर या गैर - फ़ीचर फ़िल्म है (भारतीय पैनोरामा विनियम की धाराओं 6.4, 6.5 और 6.6 के अनुसार)

(घ) फ़िल्म के चयनित हो जाने पर निम्नलिखित सामग्री तुरन्त भेजी जाए :-

1. फ़ीचर फ़िल्म के लिए एक डीसीपी (अनएन्क्रिप्टिड, डी.सी.आई. कम्पलाइन्ट-जे2के, इन्टरोप या एसएमपीटीई डीसीपी-नोट : जे2के इन्टरोप डीसीपी केवल 24 एफपीएस) / ब्लूरे (रीजन फ्री पीएएल) कॉपी और दो डी वी डी कॉपी या गैर फ़ीचर फ़िल्म के लिए एक डीसीपी अनएन्क्रिप्टिड, डी.सी.आई. कम्पलाइन्ट-जे2के, इन्टरोप या एसएमपीटीई डीसीपी-नोट : जे2के इन्टरोप डीसीपी केवल 24 एफपीएस/ ब्लूरे (रीजन फ्री पीएएल) या पेन ड्राइव (फाइल MP4/MOV/H-264, Resolution 1920x1080 file) और दो डी वी डी कॉपी ।
2. फ़िल्म के 3x2 साइज के तीन पोस्टर ।
3. ई-मेल द्वारा एक 30 सेकंड-60 सेकंड का प्रोमो/ट्रेलर ।
4. संवाद/अंग्रेज़ी उप शीर्षक सूची टाइम कोड सहित ।

7.3 अप्रतिदेय प्रवेश शुल्क, फ़ीचर फ़िल्मों के लिए (11,800/- रुपये 18% जी एस टी सहित) और गैर फ़ीचर फ़िल्मों के लिए (3,540/- रुपये 18% जी एस टी सहित) का भुगतान, ऑनलाइन प्रविष्टि पत्र के साथ अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए ।

7.4 ऑनलाइन प्रविष्टियाँ जमा कराने की **अंतिम तिथि 10 अगस्त 2023 शाम 6:00 बजे** तक है और अपेक्षित सामग्री के साथ जमा किए गए **ऑनलाइन प्रविष्टि पत्र की मुहरित और हस्ताक्षरित प्रत्यक्ष प्रतिलिपि की प्राप्ति की अंतिम तिथि 18 अगस्त 2023 को शाम 6:00 बजे तक है । अगर 18 अगस्त, 2023 अवकाश का दिन घोषित किया जाता है, तो अगला कार्य दिवस प्रविष्टियों की प्राप्ति की अंतिम तिथि के रूप में माना जाएगा । अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों को आवेदक के किसी भी संदर्भ के बिना अस्वीकार किया जा सकता है ।**

7.5 सभी प्रविष्टियाँ निम्नलिखित पते पर भेजी जाए :-

भारतीय पैनोरामा, 2023
राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम
सिरी फोर्ट सभागार परिसर, अगस्त क्रांति मार्ग, खेलगाँव
नई दिल्ली – 110049
दूरभाष. 011- 26499386/26499370/26499356
ई-मेल: indianpanorama@nfdcindia.com

(सभी प्रिन्टों एवं सामग्री के सभी पैकेटों पर भारतीय पैनोरामा, 2023 अंकित होना चाहिए)

7.6 फ़िल्म की प्रविष्टि दो प्रारूपों, फ़ीचर फ़िल्म के लिए डी सी पी (अनएन्क्रिप्टिड, डी.सी.आई. कम्पलाइन्ट-जे2के, इन्टरोप या एसएमपीटीई डीसीपी-नोट : जे2के इन्टरोप डीसीपी केवल 24 एफपीएस)/ ब्लूरे (रीजन फ्री पीएएल) और कोई भी तीन प्रारूपों में फ़िल्म को जमा किया जा सकता है अर्थात् गैर फ़ीचर फ़िल्म के लिए डीसीपी (अनएन्क्रिप्टिड, डी.सी.आई. कम्पलाइन्ट-जे2के, इन्टरोप या एसएमपीटीई डीसीपी-नोट : जे2के इन्टरोप डीसीपी केवल 24 एफपीएस)/ ब्लूरे (रीजन फ्री पीएएल) या पेन ड्राइव (फाइल MP4/MOV/H-264, Resolution 1920x1080 file)। **फ़िल्मों में अंग्रेज़ी उप शीर्षक होना अनिवार्य है** । डीसीपी/ ब्लूरे अथवा पेन ड्राइव के कवर पर निम्नलिखित अवश्य अंकित करें :-

- फ़िल्म का शीर्षक
- निर्देशक का पूरा नाम
- निर्माता का पूरा नाम
- फ़िल्म की अवधि
- फ़िल्म का आस्पेक्ट रेशियो
- फ़िल्म की मूल भाषा

7.7 राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम को डीसीपी (अनएन्क्रिप्टिड, डी.सी.आई. कम्पलाइन्ट-जे2के, इन्टरोप या एसएमपीटीई डीसीपी-नोट : जे2के इन्टरोप डीसीपी केवल 24 एफपीएस)/ ब्लूरे (रीजन फ्री पीएएल) अथवा पेन ड्राइव की निम्नस्तरीय क्वालिटी में उपलब्ध कराना और संबद्ध सामग्री भेजे जाने पर आई लागत उस व्यक्ति द्वारा वहन की जाएगी जो फ़िल्म/फ़िल्मों को प्रविष्टि के रूप में भेज रहा है ।

7.8 यदि आवेदक विनियमों के इस में उल्लेखित किन्हीं अपेक्षाओं का पालन नहीं करता है, तो उसकी प्रविष्टि को निरस्त कर दिया जाएगा ।

8. भारतीय पैनोरामा फ़िल्मों का चयन

8.1 भारतीय पैनोरामा का चयन विधिवत् गठित दो निर्णायक मंडलों (एक फ़ीचर फ़िल्मों के लिए औऱ दूसरा गैर-फ़ीचर फ़िल्मों के लिए) द्वारा किया जाएगा । निर्णायक मंडल में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय निर्माण केन्द्रों को समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा । फ़ीचर फ़िल्म

निर्णायक मंडल में अध्यक्ष सहित 13 एवं गैर फ़ीचर फ़िल्म निर्णायक मंडल में अध्यक्ष सहित 7 सदस्य होंगे ।

8.2 फ़ीचर फ़िल्म निर्णायक मंडल के अध्यक्ष जूरी सदस्यों में से चार पैनल बना सकते हैं । गैर फ़ीचर फ़िल्म निर्णायक मंडल के अध्यक्ष जूरी सदस्यों में से दो पैनल बना सकते हैं । प्रत्येक पैनल अपनी देखी गई फ़िल्मों में से अधिक से अधिक 33% फ़िल्मों को पूर्ण निर्णायक मंडल के संयुक्त अवलोकन हेतु रखने की सिफ़ारिश करेगा । निर्णायक मंडल स्वयं अपने कार्य प्रणाली को निर्धारित करेंगे ।

8.3 किसी व्यक्ति को निर्णायक मंडल की सदस्यता से तभी अयोग्य माना जाएगा जब कि स्वयं उसकी फ़िल्म की प्रविष्टि हुई है । उसके निकट संबंधी की फ़िल्म प्रविष्ट होने के मामले में निर्णायक मंडल के सदस्य को उस फ़िल्म के पूर्वावलोकन में सम्मिलित नहीं होने दिया जाएगा ।

8.3.1 निर्णायक मंडल के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति को विनियमों के अनुलग्नक आई पी III में लिखित में इस आशय की घोषणा करनी होगी ।

8.3.2 पैनल स्क्रीनिंग और फ़ाइनल स्क्रीनिंग के दौरान निर्णायक मंडल के सदस्यों को फ़िल्मों के मनन/सिफारिश के संबंध में सख्त गोपनीयता बरतनी चाहिए । निर्णायक मंडल के सदस्यों द्वारा किए गए किसी भी उल्लंघन के मामले में, उन्हें भारतीय पैनोरामा / राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार / भारत के अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म समारोह में निर्णायक मंडल के सदस्य बनने से जीवन भर के लिए वंचित कर दिया जाएगा।

8.4 इफ़्फी के **समारोह निदेशक** और/या उसका मनोनीत व्यक्ति निर्णायक मंडलों की बैठकों में उपस्थित रहेंगे ताकि वह प्रविष्टियों के संबंध में जानकारी /स्पष्टीकरण दे सके जो निर्णायक मंडल माँगे । यद्यपि वह न तो बैठकों में हिस्सा लेंगे और न ही वोट करेंगे ।

8.5 निर्णायक मंडल का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा और उनके निर्णय के संबंध में किसी प्रकार की अपील या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा ।

8.6 इन विनियमों के अनुच्छेद 6.3 के प्रावधानों के होते हुए भी 70वां राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार, 2022 के लिए चयनित सर्वोत्तम फ़ीचर फ़िल्म और सर्वोत्तम गैर फ़ीचर फ़िल्म भी भारतीय पैनोरामा में शामिल की जाएँगी ।

9. भारतीय पैनोरामा के लिए चुनी गई फ़िल्मों की प्रिंट प्राप्त

9.1 भारतीय पैनोरामा के लिए फ़िल्म का चयन हो जाने पर राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम को **भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से** उसकी एक या अधिक डीसीपी (अनएन्क्रिप्टिड / ब्लू रे/ प्रिन्टें), उस कीमत पर खरीदने का अधिकार होगा जो विधायन प्रभारों तथा कच्ची सामग्री के वास्तविक मूल्य से अधिक न हों ।

9.2 राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम को डी सी पी- अनएन्क्रिप्टिड को अंग्रेज़ी में या और अन्य भाषाओं में उप शीर्षक दिलवाने का अधिकार होगा ।

9.3 राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम को यह अधिकार होगा कि वह गैर–वाणिज्यिक उपयोग हेतु प्रति प्रोग्रामिंग आवश्यकतानुसार विदेशी भाषा में उप शीर्षक युक्त प्रिंट की माँग करें । भारतीय पैनोरामा 2023 के अनुच्छेद 11.2 के अनुसार निगम को भारतीय पैनोरामा 2023 में चयनित फ़िल्मों के गैर-वाणिज्यिक उपयोग हेतु फ़िल्मों की एक डीसीपी / पेन ड्राइव (फाइल MP4/MOV/H-264, Resolution 1920x1080 file)और डी वी डी कॉपी/ब्लू रे / डी सी पी और पेन ड्राइव की प्रतियाँ बनाने का अधिकार होगा ।

9.4 राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम को यह अधिकार होगा कि वह मौजूदा प्रिन्ट/ डीसीपी– अनएन्क्रिप्टिड, को बदल दे, चाहे सब-टाइटल है या नहीं, यदि वह प्रिन्ट खराब प्रमाणित हो चुका है ।

9.5 भारतीय पैनोरामा के लिए फ़िल्म का चयन हो जाने की दशा में, विनियम 7.2 में उल्लिखित सभी सामग्री आवश्यकतानुसार उपयोग के लिए राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम द्वारा रख ली जाएगी । निगम के आग्रह पर निर्माता विनियम में दिए गए ब्यौरे के अनुसार विभिन्न समारोहों में फ़िल्म के भाग लेने को सुविधाजनक बनाने के लिए अतिरिक्त प्रचार सामग्री की भी आपूर्ति करेगा ।

9.6 प्रपत्र आई.पी-II में प्राधिकार पत्रों का उपयोग भारतीय पैनोरामा के लिए फ़िल्म का चयन हो जाने पर ही राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम द्वारा विनियम 11 के अनुसार उपयोग के लिए किया जाएगा ।

9.7 भारतीय पैनोरामा में चयनित फ़िल्म के निर्माता/अधिकार धारकों का यह कर्तव्य होगा कि वे धारा 9 के सभी उपखंडों के परिपालन को सुनिश्चित करें चाहे फ़िल्म के वितरण अधिकार किसी अन्य कंपनी को बेच या स्थानांतरित क्यों न कर दिए जाए ।

9.8 चयनित फ़िल्मों (फ़ीचर और गैर- फ़ीचर) को गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म समारोह के दौरान एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा । निर्देशक और निर्माता के नामों को प्रविष्टि प्रपत्र में घोषित नामों के आधार पर आकलित किया जाएगा । नामों के बदलाव के अनुरोध पर किसी भी स्तर पर विचार नहीं किया जाएगा ।

10. डीसीपी /ब्लू रे /पेन ड्राइव की वापसी

फ़िल्म का चयन न होने की दशा में निर्णायक मंडल की अंतिम बैठक के बाद जल्द ही फ़िल्म की डीसीपी /ब्लू रे अथवा पेन ड्राइव की प्रतियाँ निर्माता को वापस भेज दी जाएगी । डीसीपी /ब्लू रे अथवा पेन ड्राइव वापस भेजने का खर्च राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम द्वारा वहन किया जाएगा ।

11. भारतीय पैनोरामा फ़िल्मों का उपयोग

11.1 भारतीय पैनोरामा की फ़िल्मों का शुरू में उपयोग भारत के अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म समारोह के भारतीय पैनोरामा वर्ग में दिखाने के लिए किया जाएगा बशर्ते कि तकनीकी या किन्हीं अन्य कारणों से फ़िल्म को न दिखा पाने के लिए राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं किया जाएगा ।

11.2 भारतीय पैनोरामा के लिए चयनित फ़ीचर फ़िल्मों में से तीन फ़िल्मों की पहचान भारतीय पैनोरमा जूरी द्वारा भारत के 54वें अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म समारोह के प्रतियोगिता वर्ग हेतु की जाएंगी । भारतीय पैनोरामा की फ़िल्मों का उपयोग राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विवेकानुसार विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म समारोहों, फ़िल्म सप्ताहों, भारतीय पैनोरामा समारोहों तथा देश के अन्दर तथा बाहर अन्य गैर-वाणिज्यिक प्रदर्शनों में भाग लेने के लिए भी किया जाएगा । इस प्रकार के सभी प्रदर्शनों के लिए निर्माता को किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाएगा । तथापि उसे इस प्रकार के प्रदर्शनों के बारे में सूचित किया जाएगा ।

11.3 भारतीय पैनोरामा 2023 के लिए चयनित किसी निर्देशक की पहली फ़िल्म (फ़िल्मों) को भारत के 54वें अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म समारोह में दिए जानेवाले 'निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फ़िल्म के शताब्दी पुरस्कार' के लिए भी विचार किया जाएगा। भारतीय पैनोरमा फिल्मों के अंतिम चयन के समय भारतीय पैनोरमा जूरी द्वारा ऐसी दो फीचर फिल्मों की पहचान की जाएगी। इस पुरस्कार में 10,00,000/-रु. नकद एवं सिल्वर पीकॉक प्रदान किया जाएगा ।

11.4 राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम द्वारा इन विनियमों के अंतर्गत खरीदे गए प्रिंटों का उपयोग भारतीय पैनोरामा समारोहों को आयोजित करने के लिए किया जाएगा औऱ इनका उपयोग किसी व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाएगा । राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम भारतीय पैनोरामा समारोहों का आयोजन भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार करेगा ।

11.5 भारतीय पैनोरामा में चयनित फ़िल्मों (फ़ीचर और गैर – फ़ीचर) के आई एफ एफ आई में प्रदर्शन के लिए केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड से प्रमाणीकरण की छूट, सूचना एवं

प्रसारण मंत्रालय से प्राप्त की जाएगी । तथापि जब सी बी एफ सी द्वारा फ़िल्म को प्रमाणित किया जाता है तब निर्माता को फ़िल्म के प्रमाणित रूपान्तर को वांछित प्रारूपों में राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम को उपलब्ध कराना चाहिए ।

12. विवाद समाधान

निर्माता तथा राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम के बीच किसी भी मामले पर उत्पन्न विवाद, जो इन विनियमों के अन्तर्गत न आता हो, को सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के पास भेजा जाएगा जिनका निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा और दोनों पक्षों को मान्य होगा । यह विवाचन उपनियम निर्णायक मंडलों के निर्णयों पर लागू नहीं होगा । निर्णायक मंडल का निर्णय राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम तथा भारतीय पैनोरामा के आवेदक दोनों के लिए अंतिम तथा बाध्यकारी होगा ।